संख्या- 710/2015/1540/69-1-15-82(आसरा-37)/2015

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह

विशेष सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 2015

विषय: शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से इन-सीटू आवासों की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1015/178/10/छ:/विविध/आसरा/तकनीकी (हमीरपुर-कुरारा-229) दिनांक 12 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद-हमीरपुर नगर की निकाय-कुरारा की 84 इन-सीटू आवासों की 01 परियोजना हेतु रु0 439.17 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि रु0 219.585 लाख (रुपये दो करोड़ उन्नीस लाख अट्ठावन हजार पांच सौ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद/ निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (सेन्टेज चार्जेज एवं लेबर सेस सहित)।
1	2	3	4	5	6	7
1	हमीरपुर/ कुरारा	229	1197.25	84	439.17	219.585
योग				84	439.17	219.585

1. उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर,2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय। योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त योजना की अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।

16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।

2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- /2015/1540(1)/69-1-15, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, हमीरपुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय। योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त योजना की अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।

16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।

2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक **"4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहद निर्माण कार्य"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-718/2015/1540(1)/69-1-15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, हमीरपुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।